

प्रश्न संविधान सभा के गठन एवं उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रकाश डालें।
उत्तर: — भारतीय गणतंत्र का संविधान जनता के मान्य प्रतिनिधियों की सभा के अनुसंधान एवं विचार-विमर्श का परिणाम है। ऐसी संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटीश सरकार ने 1942 ई० में 'फ्रिल्स योजना' के द्वारा स्वीकार किया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा जो भारत के लिए संविधान तैयार करेगा। सन् 1946 ई० में 'कैबिनेट मिशन योजना' में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को विधिक स्वीकार करके उसे व्यवहारिक रूप दे दिया।

इसके द्वारा सिफारिश की गई कि scheme के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का गठन हुआ। इस scheme (योजना) के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं —

- (i) प्रत्येक प्रान्त को और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए गए। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का अनुपात था।
- (ii) प्रत्येक प्रान्त के स्थानों की तीन प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये समुदाय थे — मुस्लिम, सिख और आध्यात्म।
- (iii) प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों में एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रातिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचित किया।
- (iv) देशी रियासतों की भी जनसंख्या के आधार पर प्रातिनिधित्व दिया गया।
- (v) इस scheme के अन्तर्गत प्रान्तों को 292 सदस्य निर्वाचित करने थे और देशी रियासतों को 93 स्थान दिए गए।
- (vi) चार स्थान चीफ कमिशनर क्षेत्रों के प्रातिनिधियों को दिए गए।

कैबिनेट मिशन की इस scheme के अनुसार जुलाई, 1946 ई० में मुस्लिम लीग को 73

एवं छोटी-छोटी पार्टीयों को अन्य स्थान मिले। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई० को हुई। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। 3 जुलाई 1947 की विभाजन योजना के परिणामस्वरूप संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया जिसके अनुसार संविधान सभा में 324 प्रतिनिधि हो गए।

इस संविधान सभा ने समूह सिद्धान्तों की कप-लेखा तैयार करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत संविधान के विभिन्न सिद्धान्तों का परीक्षण करने एवं उन्हें संविधान सभा में विचार के लिए पेश करने के लिए एक स्वरूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डा० अम्बेडकर थे।

सम्पूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसे 26 नवम्बर 1949 ई० को पास कर दिया गया जो 26 जनवरी, 1950 ई० को भारतीय राजराज्य के अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करने लगी।

उद्देश्य :

संविधान सभा के गठन से जाने के बाद यह जरूरी समझा गया कि भारतीय जनता के सामने अपने उद्देश्यों एवं भावों की स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया जाय ताकि देश की कड़ोड़ों जनता जो भारतीय नेताओं एवं संविधान सभा की ओर जिज्ञासा एवं आशा से देख रही थी कि वे किस मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, इसका उन्हें स्पष्ट संकेत मिल सके। इसके लिए 13 दिसम्बर, 1946 ई० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान सभा के उद्देश्यों की ऐतिहासिक घोषणा-पत्र पेश करते हुए भारत के संविधान की बुनियादी कप-लेखा और सिद्धान्तों को स्पष्ट कर दिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि

- (3) यह संविधान सभा अपने इस दृढ़ और ज़ंभीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र प्रभुता-संपन्न गणराज्य घोषित करेगी और उसके भारी आसन के लिए एक संविधान की रचना करेगी।
- (33) जो भाग या देशी राज्य स्वतंत्र प्रभुता-संपन्न भारत के भीतर शामिल होने के लिए तैयार हैं, आपस में मिलकर एक ~~संघ~~ ~~संघ~~ के रूप में जाति लेंगे।
- (333) प्रभुत्व-संपन्न और स्वतंत्र भारत उसके अंगभूत भागों और शासन की अंगों की समुची शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त हुई है।
- (34) भारत के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के समुख, समानता की विचार ~~की~~ ~~तथा~~ अभिव्यक्ति, विवाह, धर्म, उपासना, व्यावसाय और कार्य की गारंटी दी जाएगी।
- (4) अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए उपयुक्त उपाय की व्यवस्था की जाएगी।
- (43) न्याय तथा सत्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता और जल, गल और आश्रय पर इसकी प्रभुता की रक्षा की जाएगी एवं यह देश विश्व-शांति तथा मानव-जाति की कल्याण के लिए अपना पूरा सहयोग देगा।

इन उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व की हम 'पं जवाहरलाल नेहरू' के शब्दों द्वारा समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि "यह प्रस्ताव होने हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा है। यह एक घोषणा है एक दृढ़-निश्चय एक प्रतिज्ञा, एक दायित्व एवं वर्त (कर्म)।"

अज्ञानवरी 1947 ई. के काफी वाद-विवाद एवं पं जवाहरलाल नेहरू के उत्तर के बाद उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा स्वीकार कर लिया। इसी उद्देश्यों की संविधान की प्रस्तावना (preamble) में शामिल करके भारतीय गणराज्य के अधिकार एवं लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना से मली कहा जा सकता है कि संविधान सभा में सभी वर्गों, हिंदों और पलों के प्रतिनिधि रखे गए थे। कांग्रेस पक्ष का बहुत भार था, लेकिन देश के हिंदों के प्रति वे काफी सचेत थे। यह बात भी काफी सटीक है कि यदि संविधान का जनमत संग्रह होता तो वह और अधिक लोकप्रिय होता या समझा जाता।